

4.12.20

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान  
उपस्थित ही बयान गवाह प्रार्थी प्रकाश  
आर सुखदेव दर्ज रिकार्ड किये जाकर  
पत्रावली में शामिल किये गए। पत्रावली  
वास्तु अग्रिम कार्यवाही दिनांक 13-1-21  
को पेश हो।

13.1.21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित  
नहीं हैं। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी को 3  
बार आवजें लगायी गई। उसके बाद भी  
प्रार्थी या प्रार्थी की ओर से कोई वकील  
न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः  
पत्रावली अदम हाजरी अदम पेशी में  
स्वारिज की जाती है। निर्णय खुले  
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद  
तकमील दाखिल इफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी  
नैना (बुन्दी)

